भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 633

**दिनांक 20 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए**

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

633. डॉ. जी रणजीत रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का वर्ष-वार, योजना-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक योजना के लिए आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार, योजना-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्यों का वर्ष-वार, योजना-वार, जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय को उपरोक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने में कोई कमियां मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या उपर्युक्त में से किसी भी योजना में समय और लागत में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (ग): रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों और जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(1) रत्न और आभूषण सेक्टर (31-03-2021 से बंद) के लिए सामान्य सुविधा केंद्रो (सीएफसी) की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत, हैदराबाद (तेलंगाना) में सीएफ़सी स्थापित करने हेतु रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद को 4,12,79,635 रुपये की राशि जारी की गई थी और यह मार्च, 2021 से चालू है।

(2) स्पाइसेस बोर्ड की समेकित स्कीम के अंतर्गत, **निर्यातोन्मुख उत्पादन (ईओपी) और** निर्यात **विकास एवं संवर्धन (ईडीपी)** घटकों के अंतर्गत तेलंगाना राज्य के हितधारकों सहित पूरे भारत में लाभार्थियों को लक्षित करते हुए, छोटी और बड़ी इलायची के विकास, कटाई के बाद सुधार और मसालों के निर्यात संवर्धन हेतु सहायता प्रदान की गई थी ।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए तेलंगाना के संबंध में वर्ष-वार और कार्यक्रम-वार वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों का विवरण, मसाला बोर्ड द्वारा दिए गए अनुसार **अनुबंध में** है।

(3) कॉफी बोर्ड ने भारत में कॉफी क्षेत्र के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना 'समेकित कॉफी विकास परियोजना (आईसीडीपी)' लागू की।
मूल्यवर्धन के लिए समर्थन के घटकों के लिए आईसीडीपी के तहत जारी निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

| **वर्ष** | **मूल्यवर्धन के लिए समर्थन** |
|---|---|
| 2020-21 | रु.9,77,200/- |
| 2021-22 | 10,00,000 |

इन योजनाओं को सभी राज्यों में लागू किया गया है और तेलंगाना राज्य के लिए कोई अलग राज्य- विशिष्ट भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(4) भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) के तहत, तेलंगाना को 2017-21 की अवधि के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के अनुसार सहायता प्रदान की गई थी:

(i) चमड़ा क्षेत्र का समेकित विकास (आईडीएलएस) उप-योजना : 2017 से 2021 तक, तेलंगाना में एक इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 3.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है;

(ii) मानव संसाधन विकास उप-योजना (एचआरडी उप-योजना) ने बेरोजगार व्यक्तियों को 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से प्राथमिक कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की । 2017-21 की अवधि के दौरान, 16 बेरोजगार व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और ऐसे 13 प्रशिक्षणार्थियों को चमड़े और फुटवीयर में नियोजित किया गया है।

(iii) संस्थागत सुविधाओं की उप-योजना की स्थापना: यह योजना फुटवियर, डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) के मौजूदा परिसरों का उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नयन करके और पूरी तरह से सुसज्जित नए कौशल केंद्र स्थापित करके अवसंरचना प्रदान करती है। एफडीडीआई के हैदराबाद परिसर का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन करने के लिए 33.06 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ सहायता प्रदान की गई है।

(5) औद्योगिक आधारभूत अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के अंतर्गत एक परियोजना अर्थात पश्म्युलारम औद्योगिक क्षेत्र, जिला मेदक को 05 मई 2015 को मंजूरी दी गई थी और 7.068 करोड़ रुपये के केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त 12 अगस्त 2016 को जारी की गई थी।

(6) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास (एम्पीडा) योजना समुद्री उत्पादों के निर्यात के समग्र विकास और संवर्धन के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है । इस स्कीम में विभिन्न उप-योजनाएं हैं, अर्थात् बाजार संवर्धन, निर्यात के लिए मूल्यवर्धन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि सुधार आदि हैं। इस स्कीम को अखिल भारतीय आधार पर विस्तारित किया गया है और राज्य विशिष्ट निधियां उद्दिष्ट नहीं की गई हैं।

(घ): कोई कमी नहीं बताई गई है।

(ड.): कोई समय और लागत बढ़ने की सूचना नहीं मिली है।

(च): उपरोक्त (घ) और (ड.) को देखते हुए नहीं उठता।

*********

**अनुबंध**

**केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में 20-07-2022 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 633 के भाग (क) से (ग) के संबंध में अनुबंध**

| **वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक तेलंगाना में मसाला बोर्ड द्वारा उपयोग की गई धनराशि और वास्तविक उपलब्धियों का विवरण** | | | |
|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष | कार्यक्रम का नाम | उपयोग की गई निधि (लाख रुपये में) | वास्तविक उपलब्धि (लाभार्थियों की संख्या) |
| 2017-18 | हल्दी बॉयलर | 22.45 | 15 |
| | गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम | 1.79 | 17 |
| 2018-19 | हल्दी बॉयलर | 37.49 | 23 |
| | हल्दी पालिशर | 9.46 | 16 |
| | गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम | 1.17 | 12 |
| 2019-20 | हल्दी बॉयलर | 74.03 | 39 |
| | हल्दी पालिशर | 14.875 | 17 |
| | गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम | 1.19 | 12 |
| 2020-21 | हल्दी बॉयलर | 142.57 | 82 |
| | हल्दी पालिशर | 37.34 | 45 |
| | भारतीय मसाला ब्रांड का प्रचार (ब्रांड प्रचार स्कीम) | 33.00 | 1 |
| | विदेश में व्यापार के नमूने भेजना | 0.78 | 2 |
| 2021-22 | हल्दी बॉयलर | 166.07 | 73 |
| | हल्दी पालिशर | 145.34 | 149 |
| | क्वालिटी गैप ब्रिजिंग ग्रुप | 74.65 | 8 |
| | त्वरित करक्यूमिन परीक्षण उपकरणों की आपूर्ति | 3.00 | 1 |
| | सिलपॉलिन /तिरपाल शीट की आपूर्ति | 113.58 | 7407 |
| | हल्दी बॉयलर - आरकेवीवाई | 4.50 | 3 |
| | गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम | 3.40 | 16 |

**********